

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

सं० सं०-10/निजी-01-1036/26-

पटना/दिनांक-

श्रीमती दिव्यांगना (आई०डी०-5906), सहायक अभियंता, रूपांकण प्रमण्डल, सहरसा को उनके प्रथम प्रसव हेतु दिनांक-01.09.2026 से दिनांक-27.02.2027 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों के अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 "ख", वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-640 दिनांक-19.01.2015 एवं पत्रांक-2555 दिनांक-29.03.2016 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1496(21) दिनांक-10.09.2026 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता के आलोक में उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्रीमती दिव्यांगना के अवकाश लेखा में शेष-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश आदेय है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सरफराज अहमद)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1036/26-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-PCFC/IRR/BES/2024/2291-1496(21) दिनांक-10.09.2026 एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना के पत्रांक-1215 दिनांक-25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1036/26-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1036/26-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमण्डल, सहरसा को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-PCFC/IRR/BES/2024/2291-1496(21) दिनांक-10.09.2026 संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-3186 दिनांक-14.08.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-10/निजी-01-1036/26-

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- श्रीमती दिव्यांगना (आई०डी०-5906), सहायक अभियंता, रूपांकण प्रमण्डल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

क०पू०उ०

ज्ञापांक-10/निजी-01-1036/26-

4270

पटना/दिनांक-

24/09/2026

प्रतिलिपि -कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अधर सचिव (प्रबंधन)।
29/09/26